न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 22/2020 (2020/00069)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट   दर्ज दिनांक 25.02.2020

शीर्षक

1. अर्जुन लाल पिता रतन लाल चपलोत (महाजन)
2. मदन लाल पिता रतन लाल चपलोत (महाजन)
3. बसंती लाल पिता रतन लाल चपलोत (महाजन)
4. राजेन्द्र कुमार पिता रतन लाल चपलोत (महाजन)
5. महेन्द्र कुमार पिता रतन लाल चपलोत (महाजन)

सर्व निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. भगवान लाल (भगु) पिता चेना चमार
2. प्रभु लाल पित डालचन्द ब्राह्मण
3. लादूलाल पिता रामपाल ब्राह्मण
4. कन्हैया लाल पिता शंकर लाल ब्राह्मण
5. देवीलाल पिता गोकल जाट
6. भंवर लाल पिता जगरूप जाट
7. भंवर लाल पिता मांगी लाल सुथार
8. नारू पिता प्यारा चमार

सर्व निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री मनीष दाधीच

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–03.11.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम डेलाना पटवार हल्का डेलाना तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 453 रकबा 1.19 हे0, आराजी संख्या 454 रकबा 0.23 , 455 रकबा 0.81 हे0, 456 रकबा 0.38 हे0, 457 रकबा 0.07 हे0 458 रकबा 0.27 हे0, 459 रकबा 0.14 हे0, 490 रकबा 0.28 हे0, 491 रकबा 0.09 हे0 कुल किता 09 कुल रकबा 3.46 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 5 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार ... जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा ... करने के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:00:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 22 / 2020 (2020 / 00069)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम डेलाना पटवार हल्का डेलाना तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 453 रकबा 1.19 हे0, आराजी संख्या 454 रकबा 0.23 , 455 रकबा 0.81 हे0, 456 रकबा 0.38 हे0, 457 रकबा 0.07 हे0 458 रकबा 0.27 हे0, 459 रकबा 0.14 हे0, 490 रकबा 0.28 हे0, 491 रकबा 0. 09 हे0 कुल किता 09 कुल रकबा 3.46 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 5 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1050/– (एक हजार पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 1050/– (एक हजार पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:00:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner